जनपद महराजगंज में विगत 02 वर्षों में 09 शिक्षकों को निलम्बित किया गया।

क्र० सं०	**निलम्बित शिक्षक का नाम व पदनाम**	**आरोपित बिन्दु**
1	श्री राजेश्वर सिंह- इं0 प्र0अ0, संविलियन विद्यालय, सेखुआनी, क्षेत्र-नौतनवां, महराजगंज।	1- विद्यालयी अभिलेखों का रख-रखाव असंतोषजनक पाया गया। 2- विद्यालय में साफ-सफाई का अभाव पाया गया। 3- विद्यालय में ऑन लाइन शैक्षणिक वातावरण असंतोषजनक पाया गया। 4- छात्र नामांकन में अपेक्षित रूचि नहीं ली गयी है। 5- इ0प्र0अ0 द्वारा अपने कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर घोर शिथिलता बरती गयी है। 6- प्रेरणा मिशन एवं कायाकल्प तथा अन्य विभागीय योजनाओं की जानकारी का अभाव पाया गया। 7- ऑनलाइन शिक्षण कार्य करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं पायी गयी। 8- संविलियन विद्यालय सेखुआनी के साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय रतनपुर-।।, क्षेत्र-नौतनवां के प्र0अ0 का

		अतिरिक्त प्रभार है, परन्तु किसी विद्यालय में कम्पोजिट ग्राण्ट की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है। 9- उ0प्र0 नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के भाग-चार (2) धारा-2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (तीन) और (चार) में संदर्भ में खारा-12(1) में विद्यमान तथ्यों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। 10- अध्यापक सेवा नियमावली के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है।
2	श्रीमती शिखा सिंह-स0अ0, प्राथमिक विद्यालय, परसा महन्थ, क्षेत्र-फरेन्दा, महराजगंज।	1-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), महराजगंज के आदेश का उल्लंघन करना उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-12-खघ एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-174 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। 2-उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में विद्यमान नियमों का पालन नहीं किया गया। 3-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में विद्यमान

		नियमों के विपरीत कार्य किया गया है। 4-उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। 5-विद्यालय में उपस्थित न होना यह स्पष्ट होता है कि उक्त के द्वारा ऑन लाईन शिक्षण कार्य में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। 6-अपने कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर घोर लापरवाही/ शिथिलता बरतना।
3	श्री वेद प्रकाश प्रजापति- स0अ0, उच्च प्रा0वि0 सिसवां मुंशी, क्षेत्र- परतावल, महराजगंज।	1-प्राथमिक विद्यालय, जमुनहियां, क्षेत्र- परतावल में वर्ष 2015 में आवंटित 02 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष जिसके भवन प्रभारी रहते हुए अद्यतन तक उक्त भवन (अतिरिक्त कक्षा-कक्ष) का निर्माण कार्य न कराना। 2-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में विद्यमान नियमों का उलंघन करना। 3-अध्यापक सेवा नियमावली के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है।

		4-उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना। 5-अपने कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर घोर लापरवाही/शिथिलता बरतना। 6-विभागीय नियमों एवं आदेशों की अवहेलना करना।
4	श्री राकेश कुमार पटेल- स0अ0, पू0मा0वि0 रम्हौली, क्षेत्र-सदर, महराजगंज।	1-अध्यापक सेवा नियमावली के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। 2-उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना। 3-अपने कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर घोर लापरवाही/शिथिलता बरतना। 4-विभागीय नियमों एवं आदेशों की अवहेलना करना।
5	श्री विदेशी सिंह- स0अ0, पू0मा0वि0, मुण्डेरी चौबे, क्षेत्र-सिसवां, महराजगंज।	1-निरीक्षण के दौरान विद्यालय एवं विद्यालय परिसर में काफी गंदगी पायी गयी। 2-विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण असंतोषजनक पाया गया। 3-विद्यालय की फर्श काफी खराब

		स्थिति में पायी गयी। 4-कक्षा-कक्ष के अन्दर साफ-सफाई का अभाव पाया गया। 5-निरीक्षण के दौरान पूर्व तिथियों का अवकाश चढ़ाना अवकाश पंजिका मांगे जाने पर उसे देने में अनुशासनहीनता प्रदर्शित करते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशों का खुला उल्लंघन करना। 6-श्री विदेशी सिंह-अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मुण्डेरी चौबे, क्षेत्र-सिसवां द्वारा अपने कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर शिथिलता/लापरवाही बरती गयी है। 7-उपरोक्त विद्यमान कमियों के संबंध में निरीक्षण के दौरान पृच्छा करने पर कोई प्रत्योत्तर नहीं दिया गया। 8-विद्यालयी अभिलेखों का रख-रखाव काफी अस्तव्यस्त पाया गया। 9-विभागीय आदेशों का खुला उल्लंघन किया गया है। 10-अध्यापक आचरण सेवा नियमावली के अनुरूप कार्य न करना।

		11-कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए शासन/विभाग स्तर से निर्गत निर्देशों का अनुपालन न करना।
6	श्री सतीष चन्द्र रवि-स0अ0, कम्पोजिट विद्यालय, सेमरहवा खास, क्षेत्र-लक्ष्मीपुर, महराजगंज	विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहना।
7	श्रीमती शालिनी पटवा-इं0प्र0अ0, प्रा0वि0 कासिमपुर, क्षेत्र-बृजमनगंज, महराजगंज	खण्ड शिक्षा अधिकारी, बृजमनगंज एवं जिला समन्वयक, एम0डी0एम0 की जांच में 36 बच्चों के स्थान पर 108 बच्चों का पंजीकरण करने का आरोप।
8	श्री रवीन्द्र नारायण पाण्डेय, उ0प्रा0वि0 मोगलहां (कम्पोजिट विद्यालय), क्षेत्र-लक्ष्मीपुर, महराजगंज।	प्रेरणा डी०बी०टी० एप पर नामांकित बच्चों के अभिभावकों के खाते की जगह अपने ही खाते का विवरण अंकित किया जाना।
9	श्री संजय सिंह-स0अ0, प्रा0वि0 लेदवा, क्षेत्र-मिठौरा, महराजगंगज ।	1-उत्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 में विद्यमान नियमों का पालन नहीं किया गया। 2-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में विद्यमान नियमों के विपरीत कार्य किया जाना। 3-विद्यालय समय में विद्यालय में उपस्थित न रहते हुए अनावश्यक रूप

		से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मादक पदार्थ का सेवन करके कार्यालय अधिकारी/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करना। 4-विद्यालय में उपस्थित न होना तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य में कोई रूचि न लेना। 5-अपने कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर घोर लापरवाही/शिथिलता बरतना। 6-उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 में निर्धारित अध्यापक के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन न करना। 7-कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारियों को गाली देते हुए कार्यालयी कार्य न करने की धमकी देना। 8-कार्यालय के टेबल पर अवस्थित कार्यालय के कम्प्यूटर को पटककर तोड़ देना । 9-कार्यालयी अभिलेखों को फेकना तथा कार्यालयी अभिलेखों से छेड़-छाड़ करना।

		10-कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों को अभद्र गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देना।

अब तक कुल 06 शिक्षकों को निलम्बन से बहाल किया गया है।
खण्ड शिक्षा अधिकारी/जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के क्रम में निलम्बन से बहाल किया गया है।

संदीप सिंह

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

बेसिक शिक्षा विभाग